

# फर्द अहकाम

बनाम मालीराम

नाम न्यायालय लक्ष्मण कल्लवार कविचण्ड पण्डु

केस संख्या 48/2019

न्याया संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
8	10/2024	पत्रावली प्रस्तुत। ब.फ. उप. पत्रावली पूर्वोक्त रिपोर्ट 9/24 को पेश हो।
9	10/2024	पत्रावली प्रस्तुत। वादी मय अधिवक्ता ब्रजराज जैतम उपस्थित। वादी द्वारा दवा विद्वा के आधार पर खारिज किए जाने बाबत प्रार्थना-पत्र पेश किया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, कि " प्रकरण में पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से बर्तनीकरण हो गया है, विवादित भूमि का प्रतिवादी संख्या-1 मालीराम के पिता मांग्या के नाम कब्जे के आधार पर नामान्तरण खुला धा तथ्या वर्तमान में भूमि खसरा नंबर 510 प्रतिवादी संख्या-1 मालीराम के कब्जे - काशत में हैं भूमि प्रारम्भ से ही मालीराम के पिता के समय से ही मालीराम व उसीके पिता के कब्जे में चली आ रही है, मेरे एवं मेरे परिवार या अप- प्रतिवादी का कोई कबजा विवादित भूमि पर नहीं रहा है ना ही है, तथा वादी इस दवा की स्वेच्छा से विद्वा कर खारिज

अभिप्रेक्षा  
प्रमाण  
मालीराम  
10/10/24

विशेष संख्या

# फर्द अहकाम

मोहर बनाम माली/11/19

न्यायालय लखनऊ जिला न्यायालय

संख्या 48/1919

विशेष	संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>पृ-1</p> <p>माफ</p> <p>1</p> <p>से</p> <p>ली</p> <p>प</p> <p>स</p>			<p>करवा रहा है तथा वादी विवादित जमीन खसरा नंबर 510 जिसके नये नंबर 889 के संबंध में खातेदार अपने खातेदारी अधिकारों के संबंध में अपना एक व हिस्सा प्रविष्ट में क्लेम नहीं करेगा, ना ही कोई वाद विवाद करेगा, ना ही वादी या उसके वारिसान या उत्तराधिकारी इस वाद में वर्णित भूमि के संबंध में अपना कोई अधिकार क्लेम करेगा। वादी या उसके वारिसान या उत्तराधिकारी या परिवार का विवादित जमीन के मालिकाना एक के संबंध में आज के बाद कोई एक हिस्सा या ताल्लुक नहीं रहेगा। उपपत्र के मध्य रजिनामा हो गया है उक्त प्रकरण में मालीराम के पिता मांग्या के हित में जो नामान्तरण खुला है जो कि सही खुला है। अतः वाद विज्ञा के आधार पर खारिज किया जावे।</p> <p>चूँकि वादी द्वारा वादपत्र उपपत्र के मध्य रजिनामा हो गया है अतः वाद विज्ञा किया गया। वादी की विधिवत् पहचान अधिकारता द्वारा की गई है।</p> <p>अतः वाद, वादी विज्ञा किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। प्रकरण की फावली फैसल-शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

सहायक कलक्टर  
आमेर न. जयपुर